



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक -25.07.2024

जालौन पुलिस को गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पेशी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 03 अभियुक्तगण को मानव न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – थाना एट में मु0अ0सं0 32/20 (वाद संख्या – 13A/2020) धारा 399/402 भादवि बनाम दारा सिंह पुत्र चतुर्भुज नि0 ग्राम अमीटा थाना एट जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 डकैती कोर्ट उरई, जालौन द्वारा अभियुक्त दारा सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 04 वर्ष 05 माह का कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 257/2018 (वाद संख्या – 38/2018) धारा 354क/452/323/504/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम 1. राकेश कुमार 2. राहुल कुमार पुत्रगण भूरेलाल निवासीगण ग्राम टीहर थाना रामपुरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जालौन द्वारा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को धारा 354क/452/323/506 भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष कारावास एवं 14,000/- रुपये व अभियुक्त राकेश कुमार उपरोक्त को धारा 323/506 भादवि में दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।